कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/विद्यालय अवलोकन/61073/2018–19/143 दिनांक 21.10.21

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा)।

विषयः– "शाला संबलन अभियान" की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक–139 दिनांक–12.10.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्रांक–रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/शाला संबलन/2021–22/3911 दिनांक 24/09/2021 द्वारा **शाला संबलन अभियान (सत्र 2021–22)** हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार (संलग्न) संभाग/ज़िला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों हेतु विद्यालय अवलोकन के मासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

उक्त के संबंध में दिनांक 18.10.2021 तक संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए विद्यालय अवलोकन की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार आपके संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों की विद्यालय अवलोकन प्रगति अत्यन्त न्यून/शून्य रही है।

अतः प्रगति रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय एवं क्षेत्राधिकार के जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों के विद्यालय अवलोकन के मासिक लक्ष्य निर्धारित दिनांक तक शत–प्रतिशत पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावें। निर्धारित दिनांक तक लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध दायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(श्रीमती रचना भाटिया)
आर ए एस
अतिरिक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/विद्यालय अवलोकन/61073/2018–19/143 दिनांक 21.10.21

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक शिक्षा।
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
13. समस्त डाईट प्रधानाचार्य।

14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
15. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी/ सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
16. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, कार्यालय हाजा।
17. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि. ,राज.,बीकानेर।
18. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
19. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
21. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

शाला संबलन एप के माध्यम से विद्यालय अवलोकन की अद्यतन प्रगति (18.10.21)

S. No.	District	JD	CDEO	ADPC	DEO	ADEO	AD	APC	PO	Senior Lecturer_DIET	CBEO	ACBEO-II	ACBEO-I	PEEO	RP	Grand Total
1	BARMER	0	1	0	0	6	0	5	3	2	13	29	20	133	98	310
2	JODHPUR	0	5	0	6	0	4	8	8	11	14	23	25	36	93	233
3	NAGAUR	0	1	0	0	0	1	0	1	3	20	16	5	128	34	209
4	HANUMANGARH	0	3	9	0	0	3	17	10	0	16	25	15	40	40	178
5	SIKAR	0	5	0	1	0	4	9	5	9	8	19	12	63	39	177
6	JAIPUR	0	5	1	0	7	2	9	0	0	9	9	16	57	51	169
7	ALWAR	0	0	0	2	7	1	1	2	0	34	13	11	45	47	163
8	AJMER	0	0	2	2	2	0	1	12	0	16	15	11	86	13	160
9	CHITTAURGARH	0	0	5	0	0	0	8	18	2	11	21	8	51	29	153
10	BUNDI	0	4	1	0	0	0	23	39	1	7	3	9	55	10	152
11	GANGANAGAR	1	0	0	6	0	9	10	10	0	9	12	8	48	34	147
12	UDAIPUR	4	0	0	1	0	0	2	5	0	21	15	19	42	33	142
13	RAJSAMAND	0	5	0	0	0	0	0	23	4	18	14	4	33	31	132
14	JHUNJHUNUN	0	0	1	0	6	0	4	9	4	15	10	12	44	22	127
15	S.MADHOPUR	0	1	0	0	1	2	20	30	0	11	9	7	16	14	111
16	PALI	0	0	0	0	1	1	1	10	0	14	11	25	31	13	107
17	JALOR	0	0	0	0	1	8	2	2	0	5	0	7	53	20	98
18	KOTA	0	0	0	0	6	0	15	7	14	2	6	2	24	19	95
19	BHILWARA	0	2	0	1	0	3	0	1	1	8	5	9	33	26	89
20	TONK	0	2	0	0	0	0	0	17	4	3	5	6	31	20	88
21	BIKANER	0	0	0	2	2	1	11	19	0	7	7	8	17	11	85
22	JHALAWAR	0	0	1	6	3	0	7	2	0	14	3	0	21	23	80
23	DAUSA	0	4	0	0	0	0	0	5	0	17	5	0	34	13	78
24	BARAN	0	0	0	0	0	0	3	35	0	1	4	5	9	11	68
25	CHURU	0	1	0	0	4	0	1	0	1	1	7	1	18	31	65
26	SIROHI	0	6	0	8	4	0	0	0	9	0	2	0	29	6	64
27	KARAULI	0	2	0	1	0	3	2	14	2	3	0	4	16	11	58
28	BANSWARA	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6	4	10	22	8	54
29	DHAULPUR	0	0	2	3	4	0	11	6	3	4	3	5	3	10	54
30	JAISALMER	0	0	0	0	1	1	4	2	1	1	0	2	23	13	48
31	DUNGARPUR	0	0	0	0	0	1	1	10	0	6	1	0	20	4	43
32	PRATAPGARH	0	0	0	2	3	0	0	4	0	8	5	0	6	13	41
33	BHARATPUR	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	5	0	22	1	33
Grand Total		5	53	22	42	60	45	175	314	71	322	306	266	1289	841	3811

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

15

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि./विद्यालय अवलोकन/61073/2018–19/139 दिनांक : 12-10-2021

कार्यालय आदेश

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन कर संबलन प्रदान किये जाने हेतु वृहद् एवं सघन संबलन कार्यक्रम को **"शाला संबलन अभियान"** नाम दिया गया है।

राज्य में शिक्षा विभाग के संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के संबलन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा **"शाला सम्बलन मोबाईल एप"** विकसित किया गया है। इस मोबाईल एप के माध्यम से विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को शैक्षणिक प्रक्रियाओं एवं आउटकम आधारित कर डीजीटाईज (Digitize) किया गया है। विद्यालय अवलोकन के दौरान शाला संबलन मोबाईल एप के माध्यम से विश्वसनीय डेटाबेस प्राप्त किया जाना है। जिसका आंकलन कर संबलनकर्ता अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

उक्त के संबंध में शाला संबलन हेतु विभिन्न अधिकारी राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के पत्रांक–रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/शाला संबलन/2021–22/3911 दिनांक 24/09/2021 द्वारा **शाला संबलन अभियान (सत्र 2021–22)** हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार (संलग्न) निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः–

1. संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार एक दिवस में अधिकतम 2 विद्यालयों का अवलोकन किया जाएं।
2. शाला संबलन मोबाईल एप के माध्यम से सत्रपर्यन्त विद्यालय अवलोकन किये जाने है। अवलोकन की मासिक कार्ययोजना निर्माण के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले के समस्त विद्यालयों का नियमित रूप से अवलोकन हो सकें।
3. समस्त अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन एवं संबलन कार्य शाला संबलन एप के माध्यम से ही सम्पादित किया जाना हैं।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि./विद्यालय अवलोकन/61073/2018–19/139 दिनांक : 12-10-2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप,जयपुर।

9. **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों में उक्तानुरूप पालना/कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
10. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।**
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक शिक्षा।
13. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
14. समस्त डाईट प्रधानाचार्य।
15. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी/ सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
17. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, कार्यालय हाजा।
18. **उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि. ,राज.,बीकानेर।**
19. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
20. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
21. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांकः रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/शाला संबंलन/2021–22/3911 दिनांकः 24/9/2021

शाला संबंलन दिशा–निर्देश

सत्र 2021–22

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन कर संबंलन प्रदान किये जाने हेतु वृहद् एवं सघन संबंलन कार्यक्रम को "शाला संबंलन अभियान" नाम दिया गया है।

राज्य में शिक्षा विभाग के संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियें द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के संबंलन हेतु, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "शाला संबंलन मोबाईल एप" विकसित किया गया है। इस मोबाईल एप के माध्यम से विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को शैक्षणिक प्रक्रियाओं एवं आउटकम आधारित कर डीजीटाईज (Digitize) किया गया है। विद्यालय अवलोकन के दौरान शाला संबंलन मोबाईल एप के माध्यम से विश्वसनीय डेटाबेस, प्राप्त किया जाना है। जिसका आंकलन कर संबंलनकर्ता अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

इस मोबाईल एप के माध्यम से विद्यालय संबंलन किये जाने के निम्न उदेद्श्य है –

1. विद्यालयं के कमजोर एवं मजबूत पक्षों को जानकर मौके पर ही विद्यालय स्टॉफ को संबंलन प्रदान करना।
2. विद्यालय स्टॉफ, शिक्षा एवं विद्यालय संबंधी कार्यो की गुणवत्ता को जाँचना।
3. शिक्षण प्रक्रिया एवं शैक्षणिक गतिविधियों को समझना एव संबंलन प्रदान करना।
4. विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यो की गुणवत्ता को समझना।
5. विद्यालय की भौतिक एवं शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

शाला संबंलन हेतु विभिन्न अधिकारियों को परिषद के पूर्व पत्रांक 10840 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार विद्यालय अवलोकन किए जाने है –

स्तर	अधिकारी	प्रत्येक माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	सत्र में कुल अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	विशेष विवरण
संभाग	संयुक्त निदेशक (JD) स्कूल शिक्षा	7	5	5	56	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय

	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (अकादमिक)	10	10	5	80	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक निदेशक	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि / प्रा.शि.)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अतिरिक्ता जिला परियोजना समन्वयक	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	कार्यक्रम अधिकारी (समस्त)	11	11	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 1 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
डाइट कार्यालय	प्रधानाचार्य	10	10	8	92	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	उप प्रधानाचार्य एवं समस्त फैक्ल्टी (व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता)	10	10	8	92	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 3 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF समग्र शिक्षा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – प्रथम	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – द्वितीय	12	12	10	112	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक, 2 उमावि. एवं शेष अन्य विद्यालय
	सन्दर्भ व्यक्ति (समस्त)	15	15	12	138	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक विद्यालय एवं शेष अन्य विद्यालय

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	• उत्कृष्ट विद्यालय का माह में अनिवार्यतः दो बार अवलोकन। • पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का प्रत्येके माह में एक बार (वर्ष में न्यूनतम सात बार) अवलोकन।

संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार एक दिवस में अधिकतम 2 विद्यालयों का अवलोकन किया जाएं।

शाला संबंलन हेतु विकसित किये गये मोबाईल एप पर इन्द्राज की जाने वाली सूचनाऐं हेतु निर्देश –

1. संबंलनकर्ता अधिकारी विद्यालय अवलोकन से पूर्व प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाईल एप डाउनलोड कर अपने मोबाईल में उसे इनस्टॉल करेंगें। मोबाईल एप खोलने के बाद संबंधलनकर्ता अधिकारी को अपना मोबाईल नम्बर इन्द्राज करना है, जोकि ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जायेगा।
2. भाग–1 में विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी जैसे– नाम, एनआईसी कोड, जिला, ब्लॉक इत्यादि के साथ संबंलनकर्ता अधिकारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मोबाईल नम्बर इत्यादि भरी जानी है।
3. भाग–2 में बिन्दु संख्या 2.1 से 2.3 तक संबंलन दिवस पर उपस्थित/अनुपस्थित शिक्षकों की स्थिति की सूचना भरी जानी है।
4. भाग–3 में बिन्दु संख्या 3.1 से 3.8 तक ''आओ घर में सीखें'' कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति की सूचना भरी जानी है। यह भाग कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में ही प्रदर्शित होगा।
5. भाग–4 के बिन्दु संख्या 4.1 में कक्षा 1–5, 6–8, 9–10, 11–12 में नामांकित विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जानी है। इस हेतु नामांकन मोबाईल एप में स्वतः प्रदर्शित होगा। बिन्दु संख्या 4.2 में लिंगवार कुल उपस्थिति दर्ज की जानी है। बिन्दु संख्या 4.3 में किसी भी एक कक्षा की उपस्थिति का उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार भौतिक सत्यापन कर सूचना इन्द्राज करनी है।
6. भाग–5 के कुल चार खण्ड है। Part A के बिन्दु संख्या 5A.1 से 5A.8 तक उपचारात्मक शिक्षण संबंधित सूचनाऐं भरी जानी है। Part B के बिन्दु संख्या 5B.1 से 5B.13 तक कक्षा कक्षीय शिक्षण (ग्रेड 1–8) से संबंधित सूचनाऐं भरी जानी है। Part C के बिन्दु संख्या 5C.1 से 5C.9 तक कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों के लिए किये गये अकादमिक कार्यो से संबंधित सूचनाऐं भरी जानी है। Part D के बिन्दु संख्या 5D.1 से 5D.5 तक राज्य में संचालित बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्यो की सूचनाऐं भरी जानी है।
7. भाग–6, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जाँच हेतु बनाया गया है। इस भाग का नाम ''स्पॉट चैक'' दिया गया है। इस भाग में संबंलनकर्ता द्वारा एक कक्षा के किसी भी दो विषयों में दो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच कर सूचनाऐं भरी जानी है। शैक्षिक स्तर की जाँच हेतु विद्यार्थियों की NIC ID कक्षा अध्यापक से जानकारी कर पूर्ण की जानी है। शैक्षिक स्तर की जाँच के दौरान मोबाईल एप में कक्षा एवं विषय का चयन करते ही बहुविकल्पीय/ हाँ–नहीं उत्तर वाले प्रश्न प्रदर्शित होंगे। इन प्रश्नों को विद्यार्थी से पूछ कर उनके द्वारा दिये गये उत्तर को भरा जाना हैं।
8. भाग–7 के बिन्दु संख्या 7.1 से 7.8 में विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की स्थिति की जाँच कर सूचनाऐं भरी जानी है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

9. भाग–8 के बिन्दु संख्या 8.1 से 8.9 में विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति की जाँच कर सूचनाऐं भरी जानी है।
10. भाग–9 में संबंलन हेतु चयनित किये गये विद्यालय के प्रकार अनुसार सूचनाऐं इन्द्राज की जानी है। बिन्दु संख्या 9.1 से 9.7 तक यदि विद्यालय में आईसीटी लैब संचालित है तो उससे संबंधित सूचनाऐं भरी जानी है। इसी प्रकार बिन्दु 9.9 से 9.11 में मॉडल स्कूल, बिन्दु संख्या 9.12 से 9.14 में केजीबीवी, बिन्दु संख्या 9.15 से 9.17 में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सूचना भरी जानी है।
11. भाग–10 के कुल तीन खण्ड है। भाग 10A में शिक्षकों को किस क्षेत्र में समर्थन की आवश्यकता है, उसकी सूचना इन्द्राज की जानी है। भाग 10B के बिन्दु संख्या 10.3a से 10.5c में विद्यालय के सुधार हेतु आवश्यक तीन प्राथमिकताओं का चयन कर सूचना भरी जानी है। भाग 10C के बिन्दु संख्या 10.6a से 10.6g में संबंलनकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय को फीडबैक प्रदान किया जाना है। इस हेतु विद्यालय के विभिन्न आयामों में किये गये कार्यो पर सुधार की आवश्यकता/सन्तोषप्रद/अच्छा/उत्कृष्ट का कोड दर्ज करना है।
12. भाग–11 में संबंलनकर्ता अधिकारी द्वारा किया गये विद्यालय अवलोकन के सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित सूचनाऐं भरी जानी है।
13. प्रत्येक भाग में सूचनाऐं संख्यात्मक, ड्राप डाउन से चयन, चेकबाक्स से चयन, कैलेण्डर द्वारा, संबंधित कोड के माध्यम से भरी जानी है।
14. यह मोबाईल एप ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनो माध्यमों में क्रियाशील है।
15. एप में सूचनाओं की प्रविष्ठि के उपरान्त सर्वर पर डाटा अपलोड किया जाना है।

शाला संबंलन मोबाईल एप के माध्यम से सत्रपर्यन्त विद्यालय अवलोकन किये जाने है। अवलोकन की मासिक कार्ययोजना निर्माण के समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले के समस्त विद्यालयों का नियमित रूप से अवलोकन हो सकें।

नोट :– समस्त अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवलोकन एवं संबंलन कार्य शाला संबंलन एप के माध्यम से ही सम्पादित किया जाना है।

Rajasthan Education Department

Bwlla
(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/शाला संबंलन/2021–22 3911 दिनांक 24/9/2[illegible]

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
8. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मा./प्रा. शिक्षा समस्त जिले।
9. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. प्रधानाचार्य, डाइट समस्त जिले।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
12. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
13. कार्यालय प्रति।

23/9/21

अति. राज्य परियोजना निदेशक